

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेशः::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्रीमती बीना कपूर, प्रधानाचार्य, शहीद धनवंत शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरवा जिला झुन्झुनू का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरसर जिला चूरु किया गया था जिसके विरुद्ध श्रीमती बीना कपूर द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 828/2021 बीना कपूर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 828/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2021 द्वारा अपीलार्थी श्री बीना कपूर को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में रिक्त पद प्रदर्शित करते हुए 15 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 4 सप्ताह के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए ।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं की उम्र 55 वर्ष से अधिक व स्थानान्तरण से मानसिक रूप से परेशान रहने का उल्लेख करते हुए राउमावि धिगाड़िया, झुंझुनू/राउमावि निम्मा, चूरु/राउमावि तोगड़ा कलां/राउमावि निवाई/राउमावि गोदीवाड़ा खुर्द में प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापन करवाने की मांग की गई ।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया । अपीलार्थी को योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए प्रशासनिक आवश्यकता में स्थानान्तरित किया गया है । अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और राज्य हित/विद्यार्थी हित/विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता में उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है । किसी भी लोकसेवक को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है । सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य में कहीं पर भी स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जा सकता है ।

उक्तानुसार अपीलार्थी श्रीमती बीना कपूर, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 04.01.2021 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए अपने स्थानान्तरित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरसर जिला चूरु में प्रधानाचार्य के पद पर तत्काल कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें ।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/बीना/828/2021

दिनांक: 30.03.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु ।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनू/चूरु ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक झुन्झुनू/चूरु ।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर ।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा ।
9. प्रधानाचार्य बीना कपूर को आदेश की पालनार्थ ।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)